**दिनांक–15.02.2015 को श्री एस0एम0 राजू (भा.प्र.से.) सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में सभी उप निदेशक कल्याण, सभी जिला कल्याण पदाधिकारी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आवासीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा एजेंसियों के साथ हुई राज्य स्तरीय बैठक की कार्यवाहीः–**

उपस्थितिः– संलग्न सूची।

सर्वप्रथम सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक के एजेंडा के संबंध में संक्षिप्त परिचय दिया गया। बताया गया कि एजेंडा में टैली, DBT, डिजिटल हस्ताक्षर, स्किल डवलपमेंट, प्री–मैट्रिक/पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण, आवासीय विद्यालय के लिए भूमि अधिग्रहण तथा ए0सी0/डी0सी0 एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र, आपूर्त्तिकर्त्ता के बकाया का भुगतान इत्यादि विषयों की समीक्षा की जायेगी। तदनुसार जिलावार समीक्षा शुरू की गई।

1. <u>टैली–</u>

सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों को अपने कार्यालय के वित्तीय लेन–देन, कैश बुक, भाउचर पेमेंट, छात्रवृत्ति भुगतान इत्यादि को टैली सॉफ्टवेयर पर अपलोड करना था, परन्तु बार–बार निदेश के बावजूद अभी तक कोई भी जिला टैली सॉफटवेयर का उपयोग नहीं कर रहा है। समीक्षा के क्रम में इस संबंध में पूछे जाने पर सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों की ओर से खगड़िया द्वारा बताया गया कि लगातार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से संबंधित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का काम करते रहने के कारण कम्प्यूटर ऑपरेटर को टैली पर काम करने का समय नहीं मिल पा रहा है। छात्रवृत्ति का कार्य इस सप्ताह पूरा हो जायेगा तो हम लोग अभियान चलाकर इस काम को कर लेंगे। टैली के संबंध में बैठक में उपस्थित टैली के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि मैंने सभी जिलों के कम्प्यूटर ऑपरेटरों को बताया है कि अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो दूरभाष से हम से सीधा संपर्क कर लिया जाये। इस संबंध में सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों ने कहा कि टैली के प्रतिनिधि द्वारा टैली पर कार्य करने हेतु स्टेप वाईज लिटरेचर देने का वादा किया गया था, परन्तु नहीं दिया गया, जिसके कारण कम्प्यूटर ऑपरेटर को काम करने में दिक्कत हो रही है। उन्हें निदेश दिया गया कि दिनांक– 16.02.2015 तक सभी जिला कल्याण पदाधिकारी के मेल पर टैली का स्टेप वाईज लिटरेचर भेज दिया जाय।

सचिव, अनु0जाति एवं अनु0ज0जा0 कल्याण विभाग द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी कार्यों की प्राथमिकता तैयार कर लें तद्नुसार कार्य निष्पादित करें। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 15 दिनों के अन्दर पूर्ण कराये। अगर आवश्यकता हो तो लॉकल कम्प्यूटर ऑपरेटर को भी लेकर इस काम को हर हाल में दिनांक–28.02.2015 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें। सभी प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण को निदेश दिया गया कि दिनांक–02.03.2015 तक इस संबंध में निदेशक, अनु0 जा0 एवं अनु0 ज0 जा0 कल्याण विभाग के अवलोकनार्थ अनुपालन प्रतिवेदन भेजें।

**(अनुपालन– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण एवं जिला कल्याण पदाधिकारी के स्तर से)**

2. <u>स्किल डवलपमेंटः–</u>

उपस्थित सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों से पूछा गया कि स्किल डवलपमेंट में उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, परन्तु किसी भी जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इसके लिए निदेश दिया गया कि सभी प्रशिक्षण केन्द्रों पर आधारभूत संरचनाओं के संबंध में प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों से भौतिक सत्यापन करा लिया जाये। सभी प्रशिक्षण केन्द्रों पर वायोमैट्रिक सिस्टम एंव C.C.Tv. कैमरा का उपयोग करने हेतु एजेंसियों को निदेशित करने का आदेश दिया गया। छात्रवृत्ति का भुगतान भी DBT के माध्यम से किया जाये। सभी प्रशिक्षण केन्द्रों के मॉनिटरिंग प्रखंड कल्याण पदाधिकारी से कराया जाये तथा उसका ऑनलाईन रिपोर्ट भेजा जाय। सभी प्रमंडलीय उप निदेशक तथा जिला कल्याण पदाधिकारी सभी प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण अवधि में सरप्राइज भिजिट करेंगे एवं अपने–अपने समय से प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे।

**(अनुपालन– महादलित विकास मिशन/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण एवं जिला कल्याण पदाधिकारी के स्तर से)**

3. DBT <u>**के माध्यम से भुगतानः–**</u>

इस राज्य के तीन जिलों–शिवहर, शेखपुरा एवं अरवल जिला में DBT System लागू किया जाना है। इस हेतु डिजिटल सिगनेचर अभी तक किसी जिला द्वारा इसे प्राप्त नहीं किया गया है। इस माह के अन्त तक यह कार्य पूरा कर लेने का निदेश संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारियों को दिया गया।

इन्द्रजीत मुखर्जी, सहायक निदेशक (कम्प्यूटर) द्वारा पूरी प्रकिया की जानकारी बैठक में दी गई तथा बताया गया कि डिजिटल सिगनेचर को CPSMS पर अपलोड करना है जो सेंट्रल के पोर्टल पर है। इस संबंध में आवश्यकतानुसार अलग से प्रपत्र एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराये जायेंगे। उप निदेशक मुख्यालय द्वारा बताया गया कि जिला कल्याण पदाधिकारियों को CPSMS पर अपलोड करने के लिए मो0 1028 रूपये का भुगतान NIC को करना होगा, तब CPSMS पर डिजिटल सिगनेचर अपलोड किया जायेगा। इसलिए सभी अपने–अपने NIC में यह राशि जमा कर अगेत्तर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। डिजिटल सिगनेचर आपूर्त्ति NIC के द्वारा करने में असक्षमता रहे तो ग्रामीण विकास विभाग जहाँ से आपूर्त्ति लिया है, वहाँ से आपूर्त्ति लेने हेतु अनुरोध किया जाए।

4. <u>**पोस्ट मैट्रिक/प्री मैट्रिक–**</u>

सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों को इस मद में प्राप्त आवंटन के विरूद्ध खर्च की गई राशि एवं अवशेष राशि का प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र देने हेतु निदेश दिया गया। ताकि भारत सरकार को अगले आवंटन हेतु डिमांड भेजा जा सके। इसके साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए सामग्रियों की आवश्यकता का एक प्रारूप तैयार कर विभाग को भेजना सुनिश्चित करें। प्रायः ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि वितरण के पश्चात अवशेष सामग्री यथा–ड्रेस, स्टेशनरी इत्यादि को स्टोर पंजी में जमा नहीं कर उसे अगले साल में वितरित किया जा रहा है। वितरण के पश्चात जो सामग्री बच जाती है उसकी सूचना विभाग को दी जानी चाहिए, ताकि अगले वित्तीय वर्ष में उसे सामंजित करते हुए शेष सामग्रियों की आपूर्ति किया जा सके। यह भी सूचना प्राप्त हो रही है कि जिला कल्याण पदाधिकारियों द्वारा स्थानीय स्तर पर निम्न स्तर के गुणवत्ता की सामग्री का क्रय की जा रही रही है जो गलत है।

5. <u>स्थानीय कय–</u>

जिलावार समीक्षा की गई। समीक्षा के संबंध में नालन्दा द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा 60 बच्चियों के लिए ब्लेजर, शर्ट, स्कर्ट का कय किया गया है। जिला कल्याण पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा 360 बच्चों के ड्रेस का कय किया गया है। इसी तरह बेगूसराय, लखीसराय, सिवान, मधुबनी, समस्तीपुर, भोजपुर, सहरसा द्वारा छात्रों के लिए स्टेशनरी का कय किया गया है। पटना द्वारा कपड़ा, दरभंगा द्वारा पठन–पाठन सामग्री एवं कम्बल, मुंगेर द्वारा पठन–पाठन सामग्री का कय किया गया है। गोपालगंज द्वारा कम्प्यूटर की किताबें, शेखपुरा द्वारा कम्बल, बेडशीट, बांका द्वारा लालटेन, सहरसा एवं सुपौल द्वारा गद्दा, तकिया एवं मछरदानी आदि स्थानीय बाजार से कय कर विशेष परिस्थिति में छात्रों को उपलब्ध कराया गया।

परन्तु कैमूर जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा ड्रेस, तौलिया, स्वेटर, मफलर, कम्बल, बेडशीट, गंजी, जंघिया, हाफ पैंट एवं टी–शर्ट इत्यादि सभी सामग्रियों का बिना स्वीकृति प्राप्त किये स्थानीय कय कर नियम का उल्लंघन किया गया। इसके लिए स्पष्टीकरण पूछकर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

**(अनुपालन–उप निदेशक, मुख्यालय के स्तर से)**

6. <u>अत्याचार निवारण–</u>

सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों को अत्याचार निवारण में आवंटन की गई राशि का विवरण देने का निदेश दिया गया तथा यह भी कहा गया कि उन्हें कितने अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता है। यह लिखकर दें ताकि उस पर निर्णय लिया जा सके।

**(अनुपालन– सभी जिला कल्याण पदाधिकारी के स्तर से)**

7. <u>स्कूल के लिए भूमि की उपलब्धता–</u>

सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों की समीक्षा की गई। समीक्ष के कम में ज्ञात हुआ कि बहुत सारे जिलों में जमीन की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। उन्हें निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी के साथ सभी अंचलाधिकारी की बैठक कराकर इस समस्या का समाधान सुनिश्चित करायें, ताकि सरकार की योजना को मूर्त रूप दिया जा सके।

**(अनुपालन– सभी जिला कल्याण पदाधिकारी के स्तर से)**

8. <u>भोजन आपूर्तिकर्त्ता का लंबित भुगतान–</u>

जिलावार समीक्षा के कम में ज्ञात हुआ कि भोजन सामग्री के संवेदकों को पटना, नालन्दा, रोहतास, भभुआ, भोजपुर, पूर्णिया, अररिया, समस्तीपुर, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, जहानाबाद, अरवल, औरंगावाद, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, बेगूसराय, सारण एवं सिवान में माह दिसम्बर, 2014 तक भुगतान कर दिया गया है, जबकि बक्सर, गया एवं खगड़िया में माह नवम्बर, 2014 तक का भुगतान हुआ है। मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीतामढ़ी, वैशाली द्वारा बताया गया कि जनवरी, 2015 तक भुगतान हुआ है, जबकि प0 चम्पारण में सितम्बर 2014 तक, पूर्वी चम्पारण में अगस्त 2014 तक ही भुगतान हुआ है। सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि एक बार फिर से समीक्षा कर इस तरह के सभी बकाये का भुगतान कर दें तथा कार्रवाई की सूचना विभाग को देना सुनिश्चित करें।

**(अनुपालन– सभी जिला कल्याण पदाधिकारी के स्तर से)**

9. <u>अन्य सामग्रियों के आपूर्तिकर्ता का लंबित भुगतान–</u>

(क) <u>आर्मी एण्ड सिविल स्टोर</u>– इनके द्वारा बताया गया कि वैशाली, नवादा एवं मुजफ्फरपुर में बहुत दिनों से बकाया चला आ रहा है। इसी तरह सहरसा में जनवरी 2014 से, पटना में फरवरी 14 से, भभुआ में मार्च 2014 से, पूर्वी चम्पारण में नवम्बर 2014 तथा सिवान में मार्च 2014 से भुगतान लंबित पड़ हुआ है।

आश्चर्यजनक ढंग से कैमूर जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में आर्मी एण्ड सिविल स्टोर के यहाँ 27 लाख रू0 का भुगतान लंबित है, जिसमें काफी भाग–दौड़ के बाद मात्र 5 लाख रू0 का भुगतान किया गया है। संवेदक द्वारा बताया गया कि 21 लाख के भुगतान के लिए पिछले मार्च 2014 से लगातार दौड़ रहे हैं, लेकिन भुगतान नहीं हो रहा है। निदेशक, अनु0जा0 एवं अनु0ज0जा0 कल्याण द्वारा निदेश दिया गया कि यह बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर जिला कल्याण पदाधिकारी, कैमूर द्वारा 15 दिनों के अन्दर लंबित मामलों का निष्पादन नहीं किया जाता है तो इनके खिलाफ स्पष्टीकरण पूछकर कार्रवाई किया जा सकता है।

(ख) <u>विजय स्टील</u>– संवेदक द्वारा बताया गया कि खगड़िया में पिछले 6 माह से भुगतान लंबित है। लगातार प्रयास के बाद भी नहीं हो रहा है। इसी तरह मधुबनी में 27 लाख रू0, जहानाबाद में 11 लाख रू0 एवं 9.24 लाख रू0, मधेपुरा में 18 लाख रू0, मोतिहारी में 3.37 लाख रू0, सिवान में 4 लाख रू0 का भुगतान लंबित है। निदेश दिया गया कि मधेपुरा, मधुबनी एवं जहानाबाद से इस संबंध में स्पष्टीकरण पूछा जाय। जिला कल्याण पदाधिकारी, गया द्वारा बताया गया कि जनवरी 2014 से आवासीय विद्यालय में विजय स्टील द्वारा तकिया, मछरदानी इत्यादि की आपूर्ति नहीं की गई है, जिस कारण छात्रों में असंतोष है।

गया जिला के आमस, मोहनुपर, पूर्णिया जिला के धमदाहा, बनमनखी, लखीसराय के बांदा, जमुई के इन्पे एवं भागलपुर जिला में संवेदकों द्वारा तकिया, मछरदानी, गद्दा की आपूर्ति नहीं की गई है।

इसी तरह नवादा के तीन विद्यालयों में, मुंगेर के एक विद्यालय में तकिया, मछरदानी, तो ाक एवं कुर्सी की आपूर्ति नहीं की गई है। भभुआ में चप्पल, जूता, आरा, बेगूसराय, किशनगंज एवं नालन्दा में तोशक एवं तकिया आपूर्ति नहीं की गई है, जबकि शेखपुरा में पोशाक की आपूर्ति नहीं की गई है। एजेंसी द्वारा बताया गया कि 15 मार्च तक सभी सामग्रियों की आपूर्ति कर दिया जायेगा। कई अन्य जिला कल्याण पदाधिकारियों द्वारा भी विजय स्टील के संबंध में शिकायत की गई। कहा गया कि विजय स्टील द्वारा सामग्री की आपूर्ति नहीं की गई है। जिस कारण छात्रों को वांछित सुविधायें उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। इस संबंध में उपस्थित विजय स्टील के प्रतिनिधि से पूछा गया। उन्होंने बताया कि चूँकि मेरा भुगतान बहुत दिनों से लंबित है। इसलिए मेरे पास आपूर्ति करने की क्षमता नहीं है। अब भुगतान हो रहा है तो अब आपूर्ति करेंगे।

परन्तु संवेदक का यह शर्त किसी भी स्तर पर मान्य नहीं है। सामग्री आपूर्ति हेतु एग्रीमेंट के समय इस शर्त के साथ समझौता नहीं हुआ था। निर्णय लिया गया कि विजय स्टील एजेंसी से स्पष्टीकरण पूछकर काली सूची में डाली जाय।

**(अनुपालन–उप निदेशक, मुख्यालय के स्तर से )**

(ग) <u>मेरायटी एजेंसी</u>– संवेदक द्वारा बताया गया कि औरंगाबाद एवं गया में मार्च 2014 से भुगतान लंबित है। इसी तरह गया में 6.17 लाख रू0, बांका में 0.55 लाख, बक्सर में 0.84 लाख रू0, पूर्वी0

चम्पारण में 0.81 लाख रू0, जमुई में 0.56 लाख रू0, खगड़िया में 0.96 लाख रू0, नवादा में 0.15 लाख रू0 का भुगतान लंबित है।

परन्तु कैमूर एवं गया में 4.65 लाख रू0 एवं 6.17 लाख रू0 की बहुत बड़ी रकम भुगतान हेतु लंबित रखा गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि जिला कल्याण पदाधिकारी, कैमूर एवं गया द्वारा सभी एजेंसियों के भुगतान में जान–बूझकर निजी हित में अड़गा लगाया जा रहा है। स्पष्टीकरण पूछकर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

**(अनुपालन–उप निदेशक, मुख्यालय के स्तर से )**

**(ग) <u>सृजन कॉरपोरेशन–</u>** संवेदक द्वारा बताया गया कि बेतिया में माह सितम्बर 2014 से 17 लाख रू0 का भुगतान लंबित है।

जिला कल्याण पदाधिकारी, बेतिया को निदेश दिया गया कि इनका भुगतान अविलम्ब किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

10. **<u>ए0सी0 / डी0सी0–</u>**

ए0सी0 / डी0सी0 की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अरवल में 2.6 लाख रू0, औरंगाबाद में 53.74 लाख रू0, बेगूसराय में 6.81 लाख रू0, भभुआ में 316.87 लाख रू0, भोजपुर में 28.11 लाख रू0, दरभंगा में 7.06 लाख रू0, पू0 चम्पारण में 51.26 लाख रू0, गया में 104.76 लाख रू0, गोपालगंज में 4.06 लाख रू0, जमुई में 310.01 लाख रू0, कटिहार में 65.41 लाख रू0, खगड़िया में 17.27 लाख रू0, किशनगंज में 71.92 लाख रू0, मधुबनी में 9.11 लाख रू0, मुजफ्फरपुर में 125.88 लाख रू0, नालन्दा में 2.84 लाख रू0, पटना में 232.70 लाख रू0, पूर्णिया में 63.79 लाख रू0, रोहतास में 5.55 लाख रू0, समस्तीपुर में 78.71 लाख रू0, सारण में 3.18 लाख रू0, शिवहर में 2.12 लाख रू0, सीमामढ़ी में 113.52 लाख रू0, सुपौल में 36.12 लाख रू0, वैशाली में 1.27 लाख रू0, प0 चम्पारण में 798.14 लाख रू0 की राशि सामन्जन हेतु लंबित है।

कैमूर, गया और प0 चम्पारण जिले में बहुत बड़ी राशि डी0सी0 विपत्र के लिए लंबित पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कैमूर जिला कल्याण पदाधिकारी कोई भी काम नहीं करते हैं। उनका सभी विशयों में उपलब्धि नगन्य प्रतीत हो रहा है। निदेश दिया गया कि इन तीनों पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछकर कार्रवाई किया जाय।

**(अनुपालन–अवर सचिव–3 मुख्यालय के स्तर से )**

11. **<u>उपयोगिता प्रमाण पत्र–</u>**

समीक्षा में क्रम में पटना, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, नवादा, सारण, प0 चम्पारण, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर की स्थिति बहुत ही खराब है।

परन्तु कैमूर, रोहतास, प0 चम्पारण, पूर्वी चम्पारण तथा पूर्णिया के पास सबसे ज्यादा उपयोगिता प्रमाण हेतु राशि लंबित है। निदेश दिया गया कि इन जिला कल्याण पदाधिकारियों के स्पष्टीकरण पूछ कर संचिका में प्रस्तुत किया जाये।

**(अनुपालन–अवर सचिव–3 मुख्यालय के स्तर से )**

12. **<u>आवंटन के विरूद्ध निकासी–</u>**

दिनांक–02.02.2015 तक ऑन लाईन प्रतिवेदन के अनुसार सभी जिलों को 90 करोड़ रूपये का आवंटन दिया गया था, जिसमें मात्र 40 करोड़ रू0 की निकासी की गई है। अभी भी 50 करोड़ रू0 निकासी हेतु सभी जिलों में लंबित है एवं बिल बनाकर ट्रेजरी में नहीं भेजा गया है। समीक्षा के

क्रम में ज्ञात हुआ है कि नालन्दा, भोजपुर, जहानाबाद, औरंगाबाद, सिवान, सीतामढ़ी, प0 चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, कटिहार, बांका, मुंगेर, भोखपुरा, जमुई एवं बेगूसराय द्वारा भी अभी तक शून्य निकासी की गई है। जबकि कैमूर द्वारा 15 लाख रू0 में मात्र 6.10 लाख रू0 की निकासी की गई है। पूछने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

वित्तीय वर्ष समाप्ति पर है। अगर निकासी कर व्यय नहीं किया जाता है तो इसकी जवाबदेही जिला कल्याण पदाधिकारियों की होगी तथा इसे वित्तीय अनियमितता का मामला मानते हुए उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। निदेश दिया गया कि 8 दिनों के अन्दर आवंटित राशि की निकासी कर इसकी सूचना विभाग को दें।

आज की समीक्षा बैठक में सारांशतः अगर देखा जाए तो सभी मामलों में जिला कल्याण पदाधिकारी, कैमूर की उपलब्धि सबसे खराब है, जबकि गया एवं पश्चिम चम्पारण भी दूसरे एवं तीसरे स्थान पर खराब उपलब्धि के लिए चिन्हित किये गये हैं। इन तीनों से अलग से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया।

**(अनुपालन– सभी जिला कल्याण पदाधिकारी के स्तर से)**

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन करने की आशा एवं उम्मीद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

सरकार के सचिव
9/3/15

ज्ञापांक– 1/नि0 कल्याण(बैठक)05-02/2014- 815 /, पटना, दिनांक– 10.03.2015

**प्रतिलिपि**–सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण /सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव
9/3/15